

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2320

(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि

2320. डॉ. शशि थरूर:

क्या कारपोरेट मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में संचित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न स्रोतों से आईईपीएफ में जमा की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा केरल में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार केरल में निवेशकों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए निवेशक केन्द्र खोलने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अदावाकृत लाभांश, बांडों पर अदावाकृत ब्याज और अदावाकृत निवेशों के रूप में संचित कुल राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

(करोड़ रूप में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के अंत में आईईपीएफ में संचित राशि
2022-23	5,714.51
2023-24	8,237.20
2024-25	9,371.78 <sup>#</sup>

# असंपरीक्षित आंकड़ा

(ग): आईईपीएफ ने निवेशक दीदी कार्यक्रम जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आवश्यक वित्तीय ज्ञान से सशक्त बनाता है। जैसी पहलों के माध्यम से केरल में वित्तीय साक्षरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है, प्रशिक्षित निवेशक दीदी बचत, निवेश, बैंकिंग, बीमा, डिजिटल भुगतान और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर सामुदायिक स्तर की कार्यशालाएं आयोजित करती हैं। अप्रैल 2023 से सितंबर 2025 तक केरल में कुल 48 शिविर आयोजित किए गए हैं (जिनमें चालू वर्ष में 13 शिविर शामिल हैं)।

इसके अतिरिक्त, लोगों को वित्तीय उत्पादों, विवेकपूर्ण निवेश कार्यप्रणालियों, धोखाधड़ी की रोकथाम और निवेशकों के अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) आयोजित किए गए हैं। अप्रैल 2023 से सितंबर 2025 तक केरल में कुल 19 आईएपी आयोजित किए गए हैं (जिनमें चालू वर्ष में 6 शामिल हैं)।

(घ): बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा संचालित निवेशक सेवा केंद्रों को निवेशक केंद्र के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में, एनएसई का एक निवेशक सेवा केंद्र जो निवेशक सेवा केंद्र के रूप में कार्य करता है। सेंटर ए, छठी मंजिल, एस-21, अलापट्ट हेरिटेज बिल्डिंग, एमजी रोड, कोच्चि में स्थित है, निवेशकों को दावा फाइल करने, केवाईसी अपडेट करने, नामांकन में बदलाव करने और शिकायत निवारण के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त होती है।

\*\*\*\*\*